रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2553] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937

No. 2553] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

का.आ. 3234(अ)-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य (ओडीशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 540 किलोमीटर), जो कि वन्यजीव के इन-सीटू और एक्स-सीटू के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए भलीभांति रूप से जाना जाती है जिसमें पादपों की 140 प्रजातियां, स्तनधारियों की 32 प्रजातियां आदि जीवों (ईव्ज) की 94 प्रजातियां, उभयचरों की 6 प्रजातियां, सरीसृपों की 41 प्रजातियां, मत्स्यों की 12 प्रजातियां और अपृष्ठवंशियों की 20 प्रजातियां हैं।

और अनेक वन्य पशु विशेषकर बाघ (पैनथेरा टिगरिस) इस अभयारण्य का उपयोग अपने पर्यावास के लिए करते हैं और संरक्षित क्षेत्र में पाई जाने वाली अन्य प्रमुख प्रजातियां रॉयल बंगाल टाईगर, तेंदुआ, इंडियन बिसन, लकड़बग्घा, बारकिंग डियर, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, स्लोथ बीयर, राटेल, जंगली कुत्ता, साही, नीलगाय, चौसिंगा मृग, खरगोश, सियार, बंदर, मयूर, पहाड़ी मैना, जंगली मुर्गी हैं ;

और, सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा राज्य में सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2.5 से 20 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 2.5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक है और इसका क्षेत्र 88,389 हेक्टेयर में फैला हुआ है ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम की ओर, जहां अभयारण्य की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिली हुई है, शून्य किलोमीटर है और ऐसे जोन का सीमा विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 122 ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं पर इनके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त योजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) उक्त योजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) ओडिशा प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(5) उक्त महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) उक्त महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलु ओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) उक्त महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) उक्त महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद. सं. 23, 27, 30, और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचयन; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व और वन विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय नियमानुसार पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के ।

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर के आगे से पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए भवनों और रिसार्टों के स्थापन को केवल पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधाओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
11.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के संबंध में पर्यटकों को अस्थायी निवास स्थानों के। तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।
12.	कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी

		है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल बिछाने का संवर्धन करना।
15.	विद्यमान होटलों, लॉजों और रिसार्टों में बाड़ लगाना।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	यथा लागू उचित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	वायु (ध्वनि सहित) और यानिक प्रदूषण।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
23.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	सुरक्षा बल कैंप।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन में केवल आयातित काष्ठ स्टॉक का उपयोग करते हुए स्थापित किए जा सकेंगे।
27.	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलाप हेतु पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परंतु यह और कि प्रदुषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) 1 किलोमीटर के आगे और पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप :		
29.	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।

33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
34.	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
35.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, सुविधा स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी समिति का गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलेक्टर, नुआपदा, ओडीशा सरकार - अध्यक्ष;

(ii) पुलिस अधीक्षक जिला नुआपदा – सदस्य;

(iii) प्रखंड वन अधिकारी, खरियार (टी.) प्रखंड-सदस्य;

(iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का ओडीशा सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;

(v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(vi) ओडीशा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी - सदस्य ;

(vii) प्रखंड वन अधिकारी, सुनाबेदा वन्यजीव प्रखंड, नुआपदा (वन्यजीव वार्डन) - सदस्य-सचिव।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/41/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर:

उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्य की अन्तरराज्यीय सीमा के एक बिन्दु पर प्रारम्भ होती है और मूसारंगी प्रस्तावित आर.एफ. सीमा के साथ-साथ दक्षिणावर्त बढ़ती है और दलदाली ग्राम के पूर्व में अमा नाला से मिलती है, इसके बाद अमा नाला के साथ-साथ चलती है और महुआभाटा ग्राम के दक्षिण में जोंक नदी से मिलती है और ऊपरी दिशा में चलती है। फिर यह भेरा नाला के साथ चलती है और भेरा ग्राम के दक्षिण में धरमबंधा-नुआपाड़ा पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से मिलती है और चिपाझार डोंगरी के चारों ओर घूमते हुए भेरा-महुलभाटा जी.पी. रोड तथा महुलभाटा-दीवानमुरा जी.पी. रोड के साथ-साथ चलती है। फिर यह रतीपाली ग्राम के पश्चिमी छोर पर रतीपाली नाला के साथ चलती है और खरियार (टी) प्रभाग के लोदरा एफबी की उत्तरी सीमा से मिलती है और पूरब दिशा की ओर घूम जाती है। इसके बाद यह अधोदिशा में सिलदा नाला से मिलती है और दिवानमुरा-माहुलभाटा जी.पी. रोड से मिलती है और इसके साथ आगे बढ़कर रायपुर-खरियार एन.एच. रोड संख्या 353(अर्थात पारिस्थितिकीय-संवेदी जोन की पूर्वी सीमा) से मिलती है। ईएसजेड की चौड़ाई 2.5 से 7 किलोमीटर के बीच है।

पूरब:

पूर्वी सीमा रेखा एन.एच. 353 के साथ-साथ दक्षिणी दिशा की ओर चलती है और धरम सागर नाला से मिलती है। ईएसजेड की चौड़ाई 5 से 9 किलोमीटर के बीच है।

दक्षिण:

दक्षिणी सीमा धरम सागर नाला के साथ-साथ पश्चिमी दिशा में चलकर सुन्दर नदी से मिलती है और इसके साथ-साथ चलते हुए दरगांव ग्राम के पूर्व में इन्द्र तथा सुन्दर नदी के मिलान बिन्दु तक चलकर इन नदियों एवं सरगीमुरा नाला के साथ-साथ चलती है तथा बजनी पी.एफ. सीमा से मिलती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और साथ ही माकनबिल्ली-पलनापारा फुटपाथ में पश्चिम की ओर मुड़कर खरियार (टी) प्रभाग के गुरूडोंगर को पार करके खरियार (टी) प्रभाग के पटदरहा (भाग) वन ब्लॉक की पूर्वी सीमा से मिलती है और दक्षिण की ओर चलकर चित्रामा ग्राम के निकट उदन्ति नदी से मिलती है जो सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रस्तावित सुनाबेदा बाघ रिजर्व की सीमा के साथ समाप्त होती है और इसके बाद यह पश्चिम की ओर घूमती है और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्य की अन्तरराज्यीय सीमा से मिलती है।

पश्चिम:

पारिस्थितिकीय-संवेदी जोन का दक्षिणी भाग छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है क्योंकि अभयारण्य की सीमा ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ की अन्तरराज्यीय सीमा के साथ समाप्त होती है।

उपाबंध II

सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य ,ओडिशा के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

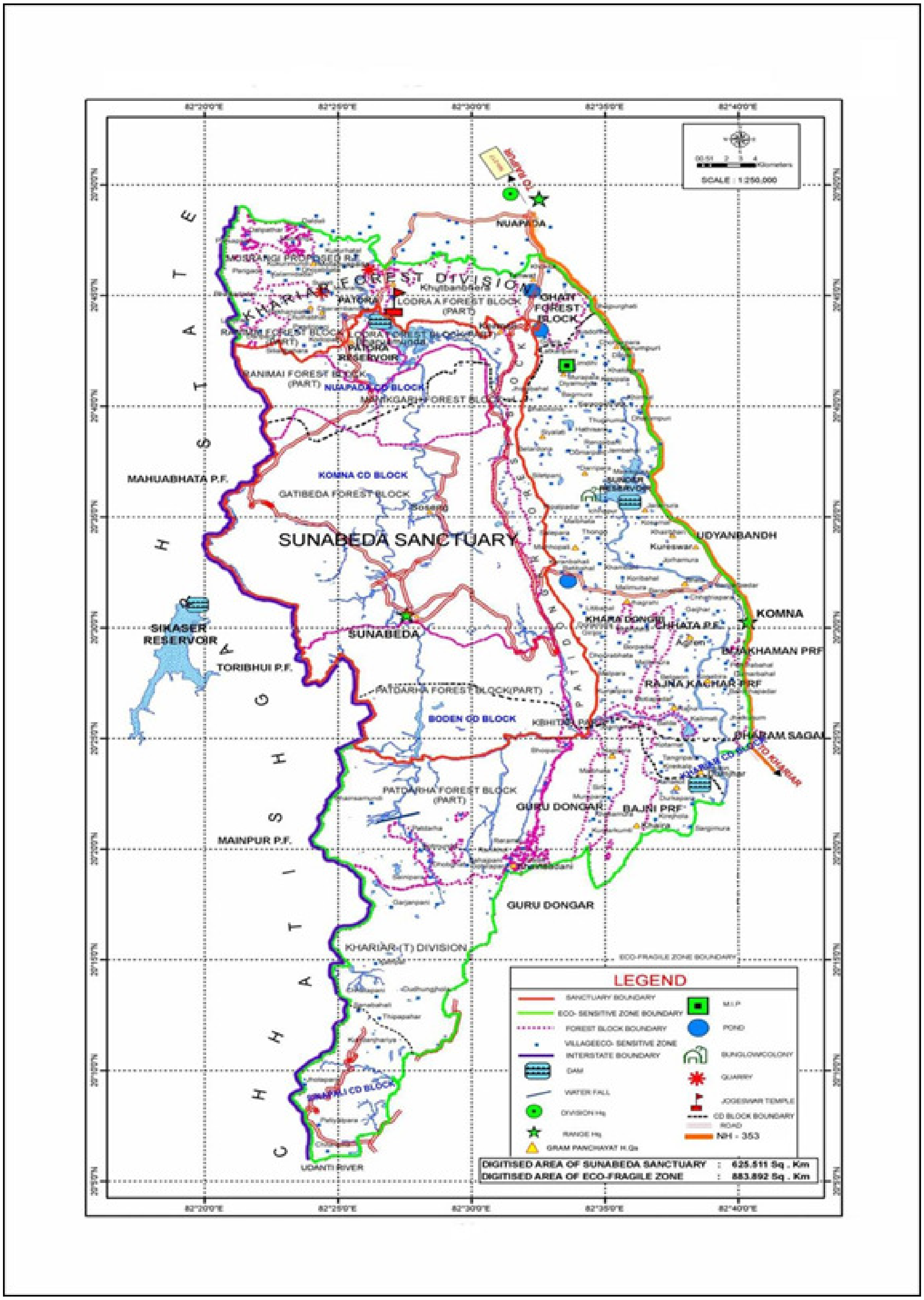

उपाबंध III

सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा के प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

नौपाड़ा ब्लॉक				
क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	ब्लॉक	अक्षांश (उत्तरी)	देशान्तर (पूर्वी)
1.	बागमुंडा	नौपाड़ा	20⁰ 40' 14.2"	82⁰ 33' 20.0"
2.	बेलरदाना	नौपाड़ा	20⁰ 38' 15.0"	82⁰ 32' 53.6"
3.	भेसादादर	नौपाड़ा	20⁰ 44' 59.0"	82⁰ 21' 12.0"
4.	भलूकोना	नौपाड़ा	20⁰ 40' 34.4"	82⁰ 32' 48.0"
5.	चौकपारा	नौपाड़ा	20⁰ 42' 43.9"	82⁰ 34' 53.6"
6.	चुल्हाभट्ट	नौपाड़ा	20⁰ 44' 30.0"	82⁰ 23' 45.0"
7.	दलदली	नौपाड़ा	20⁰ 42' 13.2"	82⁰ 35' 48.2"
8.	दलीपाथर	नौपाड़ा	20⁰ 47' 50.0"	82⁰ 21' 30.0"
9.	दरलीपाडा	नौपाड़ा	20⁰ 43' 40.0"	82⁰ 22' 00.0"
10.	धरमबंधा	नौपाड़ा	20⁰ 44' 10.0"	82⁰ 25' 10.0"
11.	धरमपुर	नौपाड़ा	20⁰ 39' 29.5"	82⁰ 36' 16.7"
12.	धोजाभाटा	नौपाड़ा	20⁰ 46' 07.0"	82⁰ 24' 15.0"
13.	डायमुंडा	नौपाड़ा	20⁰ 40' 55.1"	82⁰ 32' 56.7"
14.	डूमेरपानी	नौपाड़ा	20⁰ 37' 34.9"	82⁰ 34' 18.8"
15.	गोबरा	नौपाड़ा	20⁰ 43' 20.0"	82⁰ 32' 40.0"
16.	हतीसारा	नौपाड़ा	20⁰ 38' 16.0"	82⁰ 35' 45.4"
17.	जमबहाली	नौपाड़ा	20⁰ 37' 53.0"	82⁰ 34' 44.0"
कोमना ब्लॉक				
18.	बमानापदर	कोमना	20⁰ 31' 54.8"	82⁰ 38' 42.5"
19.	बारानापत	कोमना	20⁰ 31' 32.1"	82⁰ 36' 22.6"
20.	बाटीबहल	कोमना	20⁰ 32' 35.1"	82⁰ 33' 59.3"
21.	बेलगांव	कोमना	20⁰ 27' 36.8"	82⁰ 37' 40.8"
22.	भेला	कोमना	20⁰ 31' 38.5"	82⁰ 38' 27.5"
23.	बीजाखामन	कोमना	20⁰ 28' 45.6"	82⁰ 40' 11.2"
24.	बिलेनजोर	कोमना	20⁰ 28' 14.0"	82⁰ 40' 02.1"
25.	बोदाछप्पर	कोमना	20⁰ 26' 39.6"	82⁰ 38' 02.5"
26.	छित्तरियापारा	कोमना	20⁰ 31' 27.2"	82⁰ 37' 57.9"
27.	दारलीपाड़ा	कोमना	20⁰ 37' 15.7"	82⁰ 34' 2.1"
28.	धरम सागर	कोमना	20⁰ 24' 27.6"	82⁰ 40' 32.1"
29.	धौराभाटा	कोमना	20⁰ 28' 37.4"	82⁰ 35' 05.3"
30.	धोरलामुंडा	कोमना	20⁰ 30' 16.2"	82⁰ 34' 57.2"
31.	दुमेरबहल	कोमना	20⁰ 27' 41.8"	82⁰ 40' 05.8"
32.	गेरूजोर	कोमना	20⁰ 29' 37.2"	82⁰ 34' 46.3"
33.	गोईजोर	कोमना	20⁰ 31' 27.1"	82⁰ 37' 56.7"
34.	हाटीसारा	कोमना	20⁰ 38' 32.0"	82⁰ 34' 58.32"
35.	इच्छापुर	कोमना	20⁰ 35' 41.13"	82⁰ 34' 11.9"

36.	जोदामुंडा	कोमना	20⁰ 35’ 21.8”	82⁰ 37’ 03.9”
37.	जम्बाहाली	कोमना	20⁰ 37’ 53.0”	82⁰ 34’ 44.0”
38.	जम्बाहाली	कोमना	20⁰ 37’ 47.4”	82⁰ 35’ 25.4”
39.	जन्द्रामुंडा	कोमना	20⁰ 31’ 41.3”	82⁰ 36’ 39.6”
40.	झाग्राही	कोमना	20⁰ 31’ 29.7”	82⁰ 35’ 43.2”
41.	झलकुसुम	कोमना	20⁰ 25’ 45.7”	82⁰ 40’ 21.0”
42.	झीपाबहल	कोमना	20⁰ 40’ 27.7”	82⁰ 32’ 45.0”
43.	कलामीदादर	कोमना	20⁰ 45’ 40.0”	82⁰ 22’ 30.0”
44.	कालीमाटी	कोमना	20⁰ 25’ 42.1”	82⁰ 38’ 57.0”
45.	करनबहाली	कोमना	20⁰ 33’ 26.4”	82⁰ 34’ 07.1”
46.	करंगाभाटा	कोमना	20⁰ 39’ 48.5”	82⁰ 34’ 42.7”
47.	कासीपल्ला	कोमना	20⁰ 40’ 41.0”	82⁰ 35’ 2.6”
48.	खैरभारी	कोमना	20⁰ 32’ 45.6”	82⁰ 35’ 33.4”
49.	खलीपारा	कोमना	20⁰ 41’ 55.3”	82⁰ 34’ 59.3”
50.	खम्बाही	कोमना	20⁰ 33’ 06.8”	82⁰ 34’ 47.5”
51.	खोक्सा	कोमना	20⁰ 46’ 04.3”	82⁰ 32’ 48.0”
52.	कोदोपाली	कोमना	20⁰ 42’ 59.0”	82⁰ 24’ 15.0”
53.	कोमना	कोमना	20⁰ 30’ 06.6”	82⁰ 40’ 16.9”
54.	कोनाबीरा	कोमना	20⁰ 28’ 15.2”	82⁰ 40’ 05.4”
55.	कोरीबहाल	कोमना	20⁰ 32’ 32.0”	82⁰ 35’ 37.0”
56.	कोतेनपारा	कोमना	20⁰ 29’ 43.5”	82⁰ 35’ 49.6”
57.	कृष्णा	कोमना	20⁰ 32’ 30.1”	82⁰ 39’ 16.5”
58.	कुकुराताल	कोमना	20⁰ 47’ 16.0”	82⁰ 24’ 15.0”
59.	कुंजलपारा	कोमना	20⁰ 26’ 35.5”	82⁰ 35’ 38.1”
60.	कुसदाना	कोमना	20⁰ 43’ 00.2”	82⁰ 33’ 57.3”
61.	लंजीमार	कोमना	20⁰ 44’ 00.0”	82⁰ 21’ 30.0”
62.	लटकनपारा	कोमना	20⁰ 42’ 14.6”	82⁰ 34’ 4.3”
63.	लिमदीही	कोमना	20⁰ 42’ 4.9”	82⁰ 34’ 13.5”
64.	लितीबहाल	कोमना	20⁰ 30’ 35.0”	82⁰ 34’ 13.9”
65.	मलभाटा	कोमना	20⁰ 34’ 36.8”	82⁰ 33’ 19.0”
66.	मलिकमुंडा	कोमना	20⁰ 28’ 19.0”	82⁰ 35’ 25.3”
67.	मलीमुंदा	कोमना	20⁰ 31’ 29.3”	82⁰ 35’ 42.7”
68.	मालपारा	कोमना	20⁰ 27’ 29.5”	82⁰ 35’ 03.8”
69.	मिछापाली	कोमना	20⁰ 33’ 37.0”	82⁰ 33’ 48.1”
70.	मोतियापदर	कोमना	20⁰ 26’ 26.3”	82⁰ 36’ 44.6”
71.	मुंदापाला	कोमना	20⁰ 41’ 26.1”	82⁰ 33’ 31.0”
72.	मुसरंगी	कोमना	20⁰ 47’ 31.0”	82⁰ 23’ 00.0”
73.	पखनपदर	कोमना	20⁰ 44’ 20.0”	82⁰ 22’ 05.0”
74.	पंडेलबहाली	कोमना	20⁰ 29’ 15.2”	82⁰ 41’ 06.5”
75.	पंडरीपानी	कोमना	20⁰ 43’ 35.0”	82⁰ 23’ 15.0”

76.	परिगांव	कोमना	20⁰ 46’ 00.0”	82⁰ 22’ 15.0”
77.	पेंद्राबन	कोमना	20⁰ 26’ 27.5”	82⁰ 40’ 17.7”
78.	राजना	कोमना	20⁰ 26’ 24.7”	82⁰ 37’ 36.1”
79.	रेंगाबहाल	कोमना	20⁰ 38’ 3.9”	82⁰ 34’ 47.4”
80.	रेंगाबहाली	कोमना	20⁰ 38’ 7.0”	82⁰ 34’ 40.4”
81.	सियालाती	कोमना	20⁰ 39’ 3.7”	82⁰ 33’ 27.9”
82.	सिलेपत्नी	कोमना	20⁰ 36’ 30.3”	82⁰ 32’ 49.6”
83.	सिलियारीबहारा	कोमना	20⁰ 42’ 56.0”	82⁰ 23’ 45.0”
84.	सुपाली	कोमना	20⁰ 45’ 15.0”	82⁰ 24’ 30.0”
85.	तरबोद	कोमना	20⁰ 36’ 6.8”	82⁰ 36’ 59.6”
86.	थोंगो	कोमना	20⁰ 34’ 10.3”	82⁰ 34’ 54.2”
87.	थुगनुमल	कोमना	20⁰ 38’ 31.2”	82⁰ 34’ 57.3”
88.	उद्यनबंद	कोमना	20⁰ 33’ 49.8”	82⁰ 38’ 25.6”
		बोदेन ब्लॉक		
89.	बलदाह	बोदेन	20⁰ 26’ 37.5”	82⁰ 38’ 35.0”
90.	भैसामुंडी	बोदेन	20⁰ 23’ 27.6”	82⁰ 31’ 24.00”
91.	भुइपानी	बोदेन	20⁰ 23’ 52.09”	82⁰ 34’ 02.2”
92.	चित्रामा	बोदेन	20⁰ 07’ 52.3”	82⁰ 25’ 49.02”
93.	दरगांव	बोदेन	20⁰ 23’ 20.1”	82⁰ 38’ 31.6”
94.	धोबघाट	बोदेन	20⁰ 23’ 15.0”	82⁰ 26’ 58.2”
95.	दूधरूंग झाला	बोदेन	20⁰ 11’ 37.8”	82⁰ 33’ 33.06”
96.	दुर्कापारा	बोदेन	20⁰ 38’ 16.4”	82⁰ 21’ 58.8”
97.	गर्जनपंद	बोदेन	20⁰ 17’ 23.4”	82⁰ 26’ 58.8”
98.	गोहिरापारा	बोदेन	20⁰ 19’ 12.9”	82⁰ 35’ 35.1”
99.	झालापारा	बोदेन	20⁰ 10’ 49.8”	82⁰ 32’ 38.4”
100.	झरनामल	बोदेन	20⁰ 26’ 23.7”	82⁰ 36’ 28.6”
101.	करलाकोट	बोदेन	20⁰ 22’ 48.4”	82⁰ 37’ 30.5”
102.	काठपहार	बोदेन	20⁰ 21’ 6.6”	82⁰ 20’ 32.4”
103.	केरामल	बोदेन	20⁰ 22’ 24.5”	82⁰ 33’ 27.3”
104.	खलियामुंडा	बोदेन	20⁰ 21’ 24.6”	82⁰ 34’ 34.2”
105.	खमारकुंटी	बोदेन	20⁰ 20’ 40.2”	82⁰ 34’ 30.6”
106.	किरीझोला	बोदेन	20⁰ 21’ 13.9”	82⁰ 36’ 51.3”
107.	किरीकेला	बोदेन	20⁰ 24’ 39.6”	82⁰ 34’ 24.8”
108.	कोटामल	बोदेन	20⁰ 24’ 24.5”	82⁰ 37’ 51.7”
109.	कोटमुंडा	बोदेन	20⁰ 18’ 1.00”	82⁰ 23’ 9.6”
110.	कुसुमाल	बोदेन	20⁰ 16’ 54.1”	82⁰ 42’ 43.2”
111.	मूरापाला	बोदेन	20⁰ 24’ 0.6”	82⁰ 35’ 00.08”
112.	रेधामल	बोदेन	20⁰ 22’ 24.5”	82⁰ 33’ 27.3”
		सिनापाली ब्लॉक		
113.	कुंदनझरिया	सिनापाली	20⁰ 11’ 02”	82⁰ 26’ 27.6”
114.	मलभाटा	सिनापाली	20⁰ 23’ 33.6”	82⁰ 35’ 25.8”

115.	मुरापारा	सिनापाली	20^0 22’ 00.6”	82^0 35’ 00.8”
116.	नागपाड़ा	सिनापाली	20^0 25’ 07.3”	82^0 36’ 38.4”
117.	पतदरहा	सिनापाली	20^0 21’ 43.5”	82^0 29’ 53.6”
118.	रानीखोल	सिनापाली	20^0 19’ 24.00”	82^0 31’ 27.6”
119.	सहजपानी	सिनापाली	20^0 19’ 15.6”	82^0 29’ 51.00”
120.	सैनीपारा	सिनापाली	20^0 22’ 10.2”	82^0 25’ 20.4”
121.	सिरली	सिनापाली	20^0 23’ 30.3”	82^0 36’ 08.7”
122.	तंगरीपारा	सिनापाली	20^0 21’ 40.8”	82^0 34’ 15”

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2015

S.O. 3234(E).-The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sunabeda Wildlife Sanctuary (about 540 Kms from State Capital Bhubaneswar in Odisha) an important site for integration of in-situ and ex-situ conservation of wildlife is well known for its rich biodiversity having 149 species of plants, 32 species of mammals, 94 species of eves, 6 species of amphibians, 41 species of reptiles, 12 species of fishes and 20 species of invertebrates;

AND WHEREAS, a number of wild animals especially Tiger (*Panthera tigris*) use this Sanctuary for their habitat and other key species found in the protected area are, Royal Bengal Tiger, Leopard, Indian Bison, Hyena, Barking Deer, Chital, Sambar, Wild pig, Sloth Bear, Ratel, Wild Dog, Porcupine, Nilgai, Four-horned antelope, Hare, Jackal, Monkey, Peafowl , Hill myna, Jungle fowl;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Sunabeda Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2.5 kilometer to 20 kilometer from the boundary of the Sunabeda Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Sunabeda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is spread over an area of 88,389 hectare with an extent varying from 2.5 kilometre to 20 kilometre from the boundary of the Sunabeda Wildlife Sanctuary.

The extent of Eco-sensitive Zone is zero kilometre towards west of the Wildlife Sanctuary, where the sanctuary sharing border with Chhattisgarh State and boundary description of the such zone is given in **Annexure I**.

(2) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(3) A list of 122 villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points are appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture; and
(viii) Odisha State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The said Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 23, 27, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Sunabeda Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities as per law:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. —**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.—**Disposal of solid wastes shall be as under. - (a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
8.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.

B. Regulated Activities:		
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central or State Act and the rules made there under.
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
12.	Drastic change of agriculture system.	As regulated under laws.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	As regulated under the laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
17.	Movement of vehicular traffic at night.	As regulated for commercial purpose under the laws.
18.	Introduction of exotic species.	As regulated under the laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	As regulated under the laws.
20.	Air (including noise) and vehicular pollution.	As regulated under the laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	As regulated under the laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste, the regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	As regulated under the laws.
25.	Security Forces Camp.	As regulated under the laws.
26.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using only imported wood stock.
27.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	As regulated under the laws.

28.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 As per the Zonal Master Plan: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per rules and regulations, if any; (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
C. Permitted Activities:		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	As permitted under the laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
35.	Cottage industries including village artisans, convenance stores and local amenities.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.—**(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) The District Collector, Nuapada, Government of Odisha – Chairman;

(ii) Superintendent of Police of Nuapada District – Member;

(iii) Divisional Forest Officer, Khariar (T) Division – Member;

(iv) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha – Member;

(v) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by State Government for a term of one year in each case –Member;

(vi) Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board-Member; and

(vii) Divisional Forest Officer, Sunabeda Wildlife Division, Nuapada (Wildlife Warden) – Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/41/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Boundary description of Eco-sensitive zone around Sunabeda Wildlife Sanctuary

NORTH:

The Northern boundary starts at a point of Inter State boundary of Chhatishgarh & Odisha State and runs clock wise along the Musarangi proposed R.F. boundary and meets the Ama Nala in the east of Daldali village, then runs along with Ama Nala & meets Jonk River on the South of Mahuabhata village & runs in the upstream direction. Then it moves along the Bhera Nala and meets the Dharambandha-Nuapada P.W.D. Road at the South of Bhera village & runs along the Bhera-Mahulbhata G.P.Road and Mahulbhata-Diwanmura G.P. Road by running around the Chipajhar Dongri. Then it moves along the Ratipali Nala in the Western side of Ratipali village and meets the Northen boundary of Lodra FB of Khariar (T) Division and moves towards eastern direction. Then it moves along the Silda Nala in the downstream direction and meets the Diwanmura-Mahulbhata G.P. road and runs along the road and meets the Raipur-Khariar N.H. Road No. 353 (i.e. the eastern boundary of Eco-sensitive Zone). The width of ESZ varies from 2.5 to 7 kilometres.

EAST:

The Eastern Boundary line runs along the N.H. 353 towards Southern direction and meets the Dharamsagar Nalla. The width of ESZ varies from 5 to 9 kilometres.

SOUTH:

The Southern Boundary runs along the Dharamsagar Nalla in the Western direction to meet the Sundar River and runs along the same up to the junction (meeting) point of Indra & Sundar River at the east of Dargaon village and runs along these rivers and Sargimura Nala to meet the Bajni P.F. boundary and moves towards South and then North and also moves towards west in the Makanbilli-Palnapara foot path to meet the eastern boundary of Patdarha (Part) Forest Block of Kjhariar (T) Division by crossing the Gurudongar of Khariar (T) Division and runs towards south and meets the Udanti River near Chitrama village, which is at a distance of 20 kilometres from the boundary of Sunabeda Wildlife Sanctuary being co-terminus with the boundary of proposed Sunabeda Tiger Reserve and then moves towards the west to meet the Inter State boundary of Chhatishgarh and Odisha State.

WEST:

The western side of Eco-sensitive zone falls in Chhatishgarh State, because the Sanctuary boundary is co-terminus with the Inter State Boundary of Odisha & Chhatishgarh.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Sunabeda Wildlife Sanctuary, Odisha.

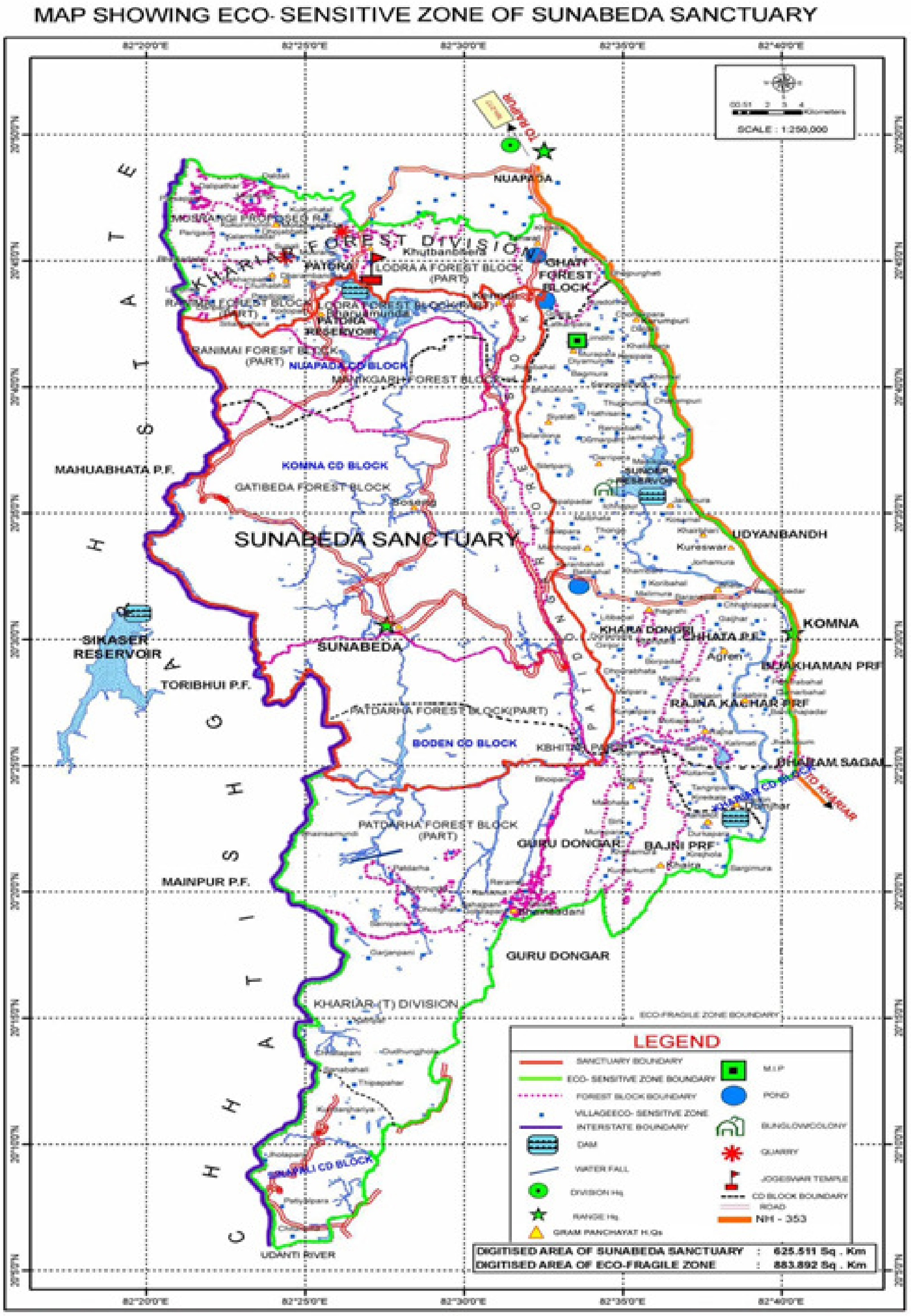

596

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Sunabeda Wildlife Sanctuary, Odisha.

Nuapada Block				
Sl No.	**Name of the Revenue Village**	**Block**	**Latitude(N)**	**Longitude(E)**
1.	Bagmunda	Nuapada	20^0 40’ 14.2”	82^0 33’ 20.0”
2.	Belardana	Nuapada	20^0 38’ 15.0”	82^0 32’ 53.6”
3.	Bhaisadadar	Nuapada	20^0 44’ 59.0”	82^0 21’ 12.0”
4.	Bhalukona	Nuapada	20^0 40’ 34.4”	82^0 32’ 48.0”
5.	Chaukpara	Nuapada	20^0 42’ 43.9”	82^0 34’ 53.6”
6.	Chulhabhat	Nuapada	20^0 44’ 30.0”	82^0 23’ 45.0”
7.	Daldali	Nuapada	20^0 42’ 13.2”	82^0 35’ 48.2”
8.	Dalipathar	Nuapada	20^0 47’ 50.0”	82^0 21’ 30.0”
9.	Darlipada	Nuapada	20^0 43’ 40.0”	82^0 22’ 00.0”
10.	Dharambandha	Nuapada	20^0 44’ 10.0”	82^0 25’ 10.0”
11.	Dharampur	Nuapada	20^0 39’ 29.5”	82^0 36’ 16.7”
12.	Dhojabhata	Nuapada	20^0 46’ 07.0”	82^0 24’ 15.0”
13.	Diamunda	Nuapada	20^0 40’ 55.1”	82^0 32’ 56.7”
14.	Dumerpani	Nuapada	20^0 37’ 34.9”	82^0 34’ 18.8”
15.	Gobra	Nuapada	20^0 43’ 20.0”	82^0 32’ 40.0”
16.	Hatisara	Nuapada	20^0 38’ 16.0”	82^0 35’ 45.4”
17.	Jambahali	Nuapada	20^0 37’ 53.0”	82^0 34’ 44.0”
Komna Block				
18.	Bamanapadar	Komna	20^0 31’ 54.8”	82^0 38’ 42.5”
19.	Baranapat	Komna	20^0 31’ 32.1”	82^0 36’ 22.6”
20.	Batibahal	Komna	20^0 32’ 35.1”	82^0 33’ 59.3”
21.	Belgaon	Komna	20^0 27’ 36.8”	82^0 37’ 40.8”
22.	Bhela	Komna	20^0 31’ 38.5”	82^0 38’ 27.5”
23.	Bijakhaman	Komna	20^0 28’ 45.6”	82^0 40’ 11.2”
24.	Bilenjor	Komna	20^0 28’ 14.0”	82^0 40’ 02.1”
25.	Bodachhapar	Komna	20^0 26’ 39.6”	82^0 38’ 02.5”
26.	Chhtriapara	Komna	20^0 31’ 27.2”	82^0 37’ 57.9”
27.	Darlipada	Komna	20^0 37’ 15.7”	82^0 34’ 2.1”
28.	Dharam Sagar	Komna	20^0 24’ 27.6”	82^0 40’ 32.1”
29.	Dhaurabhata	Komna	20^0 28’ 37.4”	82^0 35’ 05.3”
30.	Dhorlamunda	Komna	20^0 30’ 16.2”	82^0 34’ 57.2”
31.	Dumerbahal	Komna	20^0 27’ 41.8”	82^0 40’ 05.8”
32.	Gerujor	Komna	20^0 29’ 37.2”	82^0 34’ 46.3”
33.	Goijor	Komna	20^0 31’ 27.1”	82^0 37’ 56.7”
34.	Hatisara	Komna	20^0 38’ 32.0”	82^0 34’ 58.32”
35.	Ichhapur	Komna	20^0 35’ 41.13”	82^0 34’ 11.9”
36.	Jadamunda	Komna	20^0 35’ 21.8”	82^0 37’ 03.9”
37.	Jambahali	Komna	20^0 37’ 53.0”	82^0 34’ 44.0”
38.	Jambahali	Komna	20^0 37’ 47.4”	82^0 35’ 25.4”
39.	Jandramunda	Komna	20^0 31’ 41.3”	82^0 36’ 39.6”
40.	Jhagrahi	Komna	20^0 31’ 29.7”	82^0 35’ 43.2”
41.	Jhalkusum	Komna	20^0 25’ 45.7”	82^0 40’ 21.0”
42.	Jhipabahal	Komna	20^0 40’ 27.7”	82^0 32’ 45.0”
43.	Kalamidadar	Komna	20^0 45’ 40.0”	82^0 22’ 30.0”
44.	Kalimati	Komna	20^0 25’ 42.1”	82^0 38’ 57.0”
45.	Karanbahali	Komna	20^0 33’ 26.4”	82^0 34’ 07.1”
46.	Karangabhata	Komna	20^0 39’ 48.5”	82^0 34’ 42.7”
47.	Kasipalla	Komna	20^0 40’ 41.0”	82^0 35’ 2.6”
48.	Khairbhari	Komna	20^0 32’ 45.6”	82^0 35’ 33.4”
49.	Khalipara	Komna	20^0 41’ 55.3”	82^0 34’ 59.3”
50.	Khambahi	Komna	20^0 33’ 06.8”	82^0 34’ 47.5”
51.	Khoksa	Komna	20^0 46’ 04.3”	82^0 32’ 48.0”
52.	Kodopali	Komna	20^0 42’ 59.0”	82^0 24’ 15.0”
53.	Komna	Komna	20^0 30’ 06.6”	82^0 40’ 16.9”

54.	Konabira	Komna	20^0 28’ 15.2”	82^0 40’ 05.4”
55.	Koribahal	Komna	20^0 32’ 32.0”	82^0 35’ 37.0”
56.	Kotenpara	Komna	20^0 29’ 43.5”	82^0 35’ 49.6”
57.	Krishna	Komna	20^0 32’ 30.1”	82^0 39’ 16.5”
58.	Kukuratal	Komna	20^0 47’ 16.0”	82^0 24’ 15.0”
59.	Kunjalpara	Komna	20^0 26’ 35.5”	82^0 35’ 38.1”
60.	Kusdana	Komna	20^0 43’ 00.2”	82^0 33’ 57.3”
61.	Lanjimar	Komna	20^0 44’ 00.0”	82^0 21’ 30.0”
62.	Latkanpara	Komna	20^0 42’ 14.6”	82^0 34’ 4.3”
63.	Limdihi	Komna	20^0 42’ 4.9”	82^0 34’ 13.5”
64.	Litibahal	Komna	20^0 30’ 35.0”	82^0 34’ 13.9”
65.	Malbhata	Komna	20^0 34’ 36.8”	82^0 33’ 19.0”
66.	Malikmunda	Komna	20^0 28’ 19.0”	82^0 35’ 25.3”
67.	Malimunda	Komna	20^0 31’ 29.3”	82^0 35’ 42.7”
68.	Malpara	Komna	20^0 27’ 29.5”	82^0 35’ 03.8”
69.	Michhapali	Komna	20^0 33’ 37.0”	82^0 33’ 48.1”
70.	Motiapadar	Komna	20^0 26’ 26.3”	82^0 36’ 44.6”
71.	Mundapala	Komna	20^0 41’ 26.1”	82^0 33’ 31.0”
72.	Musrangi	Komna	20^0 47’ 31.0”	82^0 23’ 00.0”
73.	Pakhanpadar	Komna	20^0 44’ 20.0”	82^0 22’ 05.0”
74.	Pandelbahali	Komna	20^0 29’ 15.2”	82^0 41’ 06.5”
75.	Pandripani	Komna	20^0 43’ 35.0”	82^0 23’ 15.0”
76.	Parigaon	Komna	20^0 46’ 00.0”	82^0 22’ 15.0”
77.	Pendraban	Komna	20^0 26’ 27.5”	82^0 40’ 17.7”
78.	Rajna	Komna	20^0 26’ 24.7”	82^0 37’ 36.1”
79.	Rengabahal	Komna	20^0 38’ 3.9”	82^0 34’ 47.4”
80.	Rengabahali	Komna	20^0 38’ 7.0”	82^0 34’ 40.4”
81.	Sialati	Komna	20^0 39’ 3.7”	82^0 33’ 27.9”
82.	Siletpani	Komna	20^0 36’ 30.3”	82^0 32’ 49.6”
83.	Siliaribahara	Komna	20^0 42’ 56.0”	82^0 23’ 45.0”
84.	Supali	Komna	20^0 45’ 15.0”	82^0 24’ 30.0”
85.	Tarbod	Komna	20^0 36’ 6.8”	82^0 36’ 59.6”
86.	Thongo	Komna	20^0 34’ 10.3”	82^0 34’ 54.2”
87.	Thugnumal	Komna	20^0 38’ 31.2”	82^0 34’ 57.3”
88.	Udyanband	Komna	20^0 33’ 49.8”	82^0 38’ 25.6”
Boden Block				
89.	Baldah	Boden	20^0 26’ 37.5”	82^0 38’ 35.0”
90.	Bhaisamundi	Boden	20^0 23’ 27.6”	82^0 31’ 24.00”
91.	Bhuipani	Boden	20^0 23’ 52.09”	82^0 34’ 02.2”
92.	Chitarama	Boden	20^0 07’ 52.3”	82^0 25’ 49.02”
93.	Dargaon	Boden	20^0 23’ 20.1”	82^0 38’ 31.6”
94.	Dhobghat	Boden	20^0 23’ 15.0”	82^0 26’ 58.2”
95.	Dudhrung Jhala	Boden	20^0 11’ 37.8”	82^0 33’ 33.06”
96.	Durkapara	Boden	20^0 38’ 16.4”	82^0 21’ 58.8”
97.	Garjanpand	Boden	20^0 17’ 23.4”	82^0 26’ 58.8”
98.	Gohirapara	Boden	20^0 19’ 12.9”	82^0 35’ 35.1”
99.	Jhalapara	Boden	20^0 10’ 49.8”	82^0 32’ 38.4”
100.	Jharnamal	Boden	20^0 26’ 23.7”	82^0 36’ 28.6”
101.	Karlakot	Boden	20^0 22’ 48.4”	82^0 37’ 30.5”
102.	Kathpahar	Boden	20^0 21’ 6.6”	82^0 20’ 32.4”
103.	Keramal	Boden	20^0 22’ 24.5”	82^0 33’ 27.3”
104.	Khaliamunda	Boden	20^0 21’ 24.6”	82^0 34’ 34.2”
105.	Khamarkunti	Boden	20^0 20’ 40.2”	82^0 34’ 30.6”
106.	Kireijhola	Boden	20^0 21’ 13.9”	82^0 36’ 51.3”
107.	Kireikela	Boden	20^0 24’ 39.6”	82^0 34’ 24.8”
108.	Kotamal	Boden	20^0 24’ 24.5”	82^0 37’ 51.7”
109.	Kotmunda	Boden	20^0 18’ 1.00”	82^0 23’ 9.6”
110.	Kusumal	Boden	20^0 16’ 54.1”	82^0 42’ 43.2”
111.	Murapala	Boden	20^0 24’ 0.6”	82^0 35’ 00.08”
112.	Redhamal	Boden	20^0 22’ 24.5”	82^0 33’ 27.3”

Sinapali Block				
113.	Kundanjhariya	Sinapali	20⁰ 11’ 02”	82⁰ 26’ 27.6”
114.	Malbhata	Sinapali	20⁰ 23’ 33.6”	82⁰ 35’ 25.8”
115.	Murapara	Sinapali	20⁰ 22’ 00.6”	82⁰ 35’ 00.8”
116.	Nagpada	Sinapali	20⁰ 25’ 07.3”	82⁰ 36’ 38.4”
117.	Patdarha	Sinapali	20⁰ 21’ 43.5”	82⁰ 29’ 53.6”
118.	Ranikhol	Sinapali	20⁰ 19’ 24.00”	82⁰ 31’ 27.6”
119.	Sahajpani	Sinapali	20⁰ 19’ 15.6”	82⁰ 29’ 51.00”
120.	Sainipara	Sinapali	20⁰ 22’ 10.2”	82⁰ 25’ 20.4”
121.	Sirli	Sinapali	20⁰ 23’ 30.3”	82⁰ 36’ 08.7”
122.	Tangripara	Sinapali	20⁰ 21’ 40.8”	82⁰ 34’ 15”

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.